भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खंड 3 — उप-खंड (1)
PART II — Section 3 — Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 478 ]
No. 478]
नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 1997/अग्रहायण 11, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 1997/AGRAHAYANA 11, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 684(अ).—अण्डमान और निकोबार दीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अण्डमान और निकोबार दीप समूह संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शर्तें और अन्य विविध उपबंध) नियम, 1995 के लिए वित्त आयोग में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्——

1. (1) इन नियमों को अण्डमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शर्तें और अन्य विविध उपबंध) (संशोधन) नियम, 1997 के लिए वित्त आयोग कहा जाएगा,

    (2) उन्हें 8-9-1995 से प्रवचन हुआ माना जाएगा।

2. अण्डमान और निकोबार दीप समूह संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शर्तें और अन्य विविध उपबंध) नियम, 1995 के लिए वित्त आयोग में, नियम 7 में, उप नियम 2 के बाद निम्नलिखित समस्तीकरण जोड़े जाएगे —

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि उप नियम (2) के उपरोक्त को भूतपूर्व प्रभाव से लागू करने पर अण्डमान और निकोबार दीप समूह के लिए वित्त आयोग के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

[एफ. व. खु. -11022/1/94-फ. डी. एल.]
पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 8-9-95 के सा. का. नि. 626 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद दिनांक 12-1-96 के सा. का. नि. 28 (अ) तथा 28-5-96 के सा. का. नि. 228 (अ) और 5-6-97 के सा. का. नि. 307 (अ) द्वारा इनमें संशोधन किया गया था।
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1997

G. S. R. 684 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7 after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"EXPLANATORY MEMORANDUM—It is clarified that the provisions of sub-rule (2) does not adversely affect any of the employees of the Finance Commission of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands by its retrospective effect.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]

P. K. JALALI, Jr. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96, GSR 228(E) dated 28-5-96 and GSR 307(E) dated 5-6-97.
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 684(अ)—अग्रहायण और निकोबार दीप समूह (पंजाब) विनियम, 1994 की धारा 186 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अग्रहायण और निकोबार दीप समूह संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शते और अन्य विविध उपबंध) नियम, 1995 के लिए विचार आयोग में और संसदीय के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को अग्रहायण और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शते और अन्य विविध उपबंध) (संसदीय) नियम, 1997 के लिए विचार आयोग कहा जाएगा,

(2) उन्हें 8—9—1995 से प्रवर्त्त हुआ माना जाएगा।

2. अग्रहायण और निकोबार दीप समूह संघ राज्य क्षेत्र (सेवा शते और अन्य विविध उपबंध) नियम, 1995 के लिए विचार आयोग में, नियम 7 में, उप नियम 2 के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएँगे :—

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह स्पष्ट किया जाता है कि उप नियम (2) के उपबंधों को भूतात्मक प्रभाव से लागू करने पर अग्रहायण और निकोबार दीप समूह के लिए विचार आयोग के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

[एफ. नं. पूं-110221/1/94—पूं. टो. एल.]
पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 8—9—95 के सा. का. नि. 626 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद दिनांक 12—1—96 के सा. का. नि. 28 (अ) तथा 28—5—96 के सा. का. नि. 228 (अ) और 5—6—97 के सा. का. नि. 307 (अ) द्वारा इनमें संशोधन किया गया था।
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1997

G. S. R. 684 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely:

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

   (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7 after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:

   “EXPLANATORY MEMORANDUM—It is clarified that the provisions of sub-rule (2) does not adversely affect any of the employees of the Finance Commission of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands by its retrospective effect.

   [F. No. U-11022/1/94-UTL]
   P. K. JALALI, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96, GSR 228(E) dated 28-5-96 and GSR 307(E) dated 5-6-97.